

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 16 / 2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 17

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

श्री सुरेन्द्र जैन पुत्र श्री विजय जैन निवासी
2/74 वार्ड नं. 9 खांदु कोलोनी, बांसवाड़ा
(विक्रेता / मालिक) मैसर्स विजय एन्टरप्राइजेज,
दुकान नं. 33, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा जिला
बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09-07-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 11-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14-02-2023 को दौराने गश्त 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स विजय एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 33, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा तो वहाँ पर श्री सुरेन्द्र जैन पुत्र श्री विजय जैन मिले। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स विजय एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 33, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में आयोडिन युक्त नमक (सेफ) 5 कट्टे प्रत्येक पैकेट 1 किग्रा वजनी के 25 पैकेट रखे हुए थे। जिसमें गुणवत्ता की कमी एवं मिसब्राण्ड होने का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए आयोडिन युक्त नमक (सेफ) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के 4 पैकेट प्रत्येक 1 किग्रा. कुल 4 किग्रा वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 32/- रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा आयोडिन युक्त नमक (सेफ) के (4 पैकेट प्रत्येक 1 किग्रा) के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1299 प्रत्येक नमूना भाग पर




न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/155 दिनांक 01-03-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 146 दिनांक 23-02-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया आयोडिन युक्त नमक (सेफ) का नमूना कोड क्रमांक **W-1299** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। जिसकी सूचना विक्रेता/मालिक को दी गई। विक्रेता ने नमूने की पुनः जाँच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। विक्रेता द्वारा आयोडिन युक्त नमक (सेफ) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 11-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।


खाद्य निगरानी अधिकारी
(अति. नि.)
बॉसवाडा

दिनांक 04-03-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त अपने पर लगे आरोप स्वीकार कर न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/155 दिनांक 01-03-2023 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 146 दिनांक 23-02-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया आयोडिन युक्त नमक (सेफ) का नमूना कोड क्रमांक **W-1299** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया साबुदाना (जी.एम) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणों को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री सुरेन्द्र जैन पुत्र श्री विजय जैन निवासी 2/74 वार्ड नं. 9 खांदु कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स विजय एन्टरप्राइजेज, दुकान नं. 33, न्यू क्लॉथ मार्केट, बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.) को रूपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09-07-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गौयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)